राजस्थान में बिजली की कमी

274. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान मे बिजली की भारी कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किए जा रहे है ; और

(ख) क्या सरकार कुछ नए बिजलीघर स्थापित करने पर विचार कर रही है?

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) सामान्यत , राजस्थान स्वयं अपने ही विद्युत उत्पादन से, भाखडा व्यास प्रबध बोर्ड से अपने हिस्से से तथा राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के न्यूक्लीय केन्द्र मे होने वाले विद्युत उत्पादन मे अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है। तथापि, जब राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट खराब हो जाती है तब स्थिति सकट-पूर्ण हो जाती है। जिस अवधि के दौरान राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की यूनिट काम नही करती उस समय बदरपुर से राजस्थान की विद्युत पारेषित करने के लिए प्रयत्न किए जाते है, जो बदरपुर, इन्द्रप्रस्थ में विद्युत उत्पादन के स्तर पर निर्भर करती है। भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड प्रणाली से विशिष्ट सहायता के लिए भी व्यवस्था की जाती है।

(ख) कुल 440 मेगावाट (ताप विद्युत) तथा 140 मेगावाट (जल विद्युत) क्षमता की नई यूनिटें राजस्थान मे निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं। इसके अतिरिक्त, 345 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की स्कीमों को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है।

दिल्ली में पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों का पुनर्वास

275. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने विभाजन के पश्चात् पश्चिम पाकिस्तान से भारत आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु वर्ष 1962 में 190.23 लाख रुपये की एक योजना बनाई थी :,

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किन व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया और किन स्थानों पर उनका पुनर्वास किया गया और 150 से 200 वर्ग गज, 160 वर्ग गज से 80 वर्ग गज और 40 वर्ग गज के प्लाटों का आवंटन करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना के लिए आवंटित समूची राशि व्यय की गई है?

सूचना और प्रसारण तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत भाई परमानन्द कालोनी में 700 मकानों का निर्माण किया गया था और डा० मुखर्जी नगर में 160 वर्ग गज के 1257 प्लाटों का विकास किया गया था। इन्हे पात्र परिवारो को आवंटित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा दो मकान अस्थाई रूप मे कार्यालय के रूप मे प्रयोग में लाए गए है। 1978 मे योजना को संशोधित किया गया था जिसमे प्लाटो का आवटन निम्न प्रकार से करने की व्यवस्था की गई :—

(i) हडसन ओट्म लाइनो के मकानो में रह रहे प्रत्यक पात्र परिवार को 160 वर्ग गज का प्लाट।

(ii) हडसन ओट्म लाइनो की बैरको मे रह रहे प्रत्येक पात्र परिवार को 80 वर्ग गज का प्लाट।

(iii) हडसन ओट्म लाइनो मे रह रहे 204 अनाधिकृत परिवारो के प्रत्येक परिवार को 40 वर्ग गज का प्लाट

(ग) 1978–79 तक आवंटित 182.87 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

Decision to import Power Plants

276. SHRI NAVIN RAVANI: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to allow import of power plants that are produced in the country by such Public Sector Units as Bharat Heavy Electricals Limited;

(b) if so, what are the reasons thereof;

(c) which among the SEBs were representing before the Ministry to allow such imports and what were their reasons; and

(d) whether Government have studied the maintenance aspects of Bharat Heavy Electricals Limited produced generators by State Electricity Boards; if so, what were the results; if not, whether Government propose to undertake such study?

THE MINISTER OF ENERGY AND COAL (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) The import policy of the Government of India allows for invitation of global tenders for import of power generating equipment. The recommendations made on the basis of these global tenders are to be considered by an Empowered Committee chaired by the Secretary of the Department of Heavy Industry which examines the recommendations before giving final clearance.

(b) The decision to place power generating equipment on the list of imports through open general licence was taken when the import policy for the year 1978-79 was finalised and has continued ever since The decision was taken with the objective of improving the efficiency and cost competitiveness of the Indian capital goods industry and the consequent need to provide progressive and selective exposure of indigenous manufacturers to international competition and achieving in the process the requisite optimisation in scales of production as also process and production technology.

(c) under the above policy Assam, Andhra Pradesh and Haryana State Electricity Boards have made requests to the Empowered Committee for the import of power generating equipment. Gujarat, Maharashtra and Punjab State Electricity Boards, and Neyveli lignite Corporation have shown interest in importing power generating equipment. The National Thermal Power Corporation is importing thermal generating sets for its projects on the basis of global tendering required under the provision of the I.D.A. Credit being received for the project.

(d) Studies relating to the Operation, Maintenance and Performance of Power Stations are undertaken under the aegis of the Central Electricity Authority from time to time and these include power stations using BHEL generators also. Such studies help in identifying measures necessary for improving the performance of power stations.

Pre-Poll Violence in Nine States

277. SHRI M. V. CHANDRASHEKHARA MURTHY:

SHRI K. MALLANNA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there were unprecedented pre-poll violence during the month of May, 1980 in the nine States where the Assembly elections were held;

(b) if so, whether it is also a fact that in Bihar alone pre-poll violence has taken a toll of over 10 killed and several hundred wounded;

(c) if so, the total number of deaths in these States;

(d) what were the main reasons for this unprecedented pre-poll violence; and

(e) whether any booth capturing in many States took places?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) to (e) The required information is not readily available and is being collected.